न्यायिक सक्रियता Judicial Activism

फ्रांसीसी राजनीति विज्ञानी एवं दार्शनिक मांटेस्क्यू (Montesquieu) ने अपनी पुस्तक "Spirit of Law" में शासन के तीनो अंगो की शक्तियों का वर्णन किया। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के शक्तियों के पृथक्करण का विचार प्रस्तुत किया।

उसके अनुसार शक्तियों के पृथक्करण के बिना न तो जनता की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है न ही शासकीय अंगो की निरंकुशता बच पायेगी। किसी एक व्यक्ति या निकाय को सौंप देने पर सब नष्ट हो जायेगा। सभी अंगो का अपना-अपना क्षेत्र सुनिश्चित हो तथा अपने-अपने कार्यों को सुचारु रूप से सम्पन्न करें। यदि विधायिका व कार्यपालिका अपने कार्यों को सुचारु रूप से सम्पन्न नहीं कर पाती तो न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है। यहीं सक्रियता का जन्म होता है।

अर्थात न्यायिक सक्रियता का अर्थ है कि न्यायपालिका द्वारा निभाई जाने वाली वह सक्रिय भूमिका है जिसमें शासन के अंगो को उनके संवैधानिक कृत्य करने के लिए बाध्य करें।

न्यायिक सक्रियता की अवधारणा लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में अभिव्यक्त होती है जिसमें न्यायालय ~~[illegible]~~ की सकारात्मक भूमिका बढ़ जाती है।

न्यायिक सक्रियता के विकास के कारण

1- कार्यपालिका व विधायिका की जनसमस्याओं के प्रति निष्क्रियता।
2- कार्यपालिका द्वारा सार्वजनिक महत्व के मामले में सही तथ्यों को छुपाना।
3- संवेदनशील मुद्दों पर विधायिका व कार्यपालिका द्वारा निर्णय न लेना।
4- अनु० 32, 226 में न्यायालय में रिट जारी करने की शक्ति (226- उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति)
5- 39-A - निःशुल्क कानूनी सहायता या निर्धन को न्याय सुलभ करना।
(समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता)

न्यायिक सक्रियता के पहलू-

1- जनहित याचिका (PIL - Public Intrest Litigation)
2- अनु० 21 का विस्तार
3- कार्यपालिका के स्वविवेक पर निर्णय
4- पूर्ण न्याय
5- आधारभूत ढांचे का निर्माण

जनहित याचिका (PIL) : Public Intrest Litigation

जन हित याचिका की शुरुआत न्यायमूर्ति P.N. Bhagwati को जाता है। (17 CJ 85)

जनहित याचिका के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति या समुदाय, जिसको कोई विधिक क्षति पहुंचाई गई हो या जिसके अधिकारो का हनन किया गया हो, परन्तु वह व्यक्ति निर्धनता की वजह से न्यायालय की शरण में नही जा सकता तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित पक्ष की ओर से PIL कर सकता है।

PIL का उद्देश्य समाज के कमजोर तबके को न्याय प्राप्ति में मदद करना होता है।

भारतीय संविधान के अनु० 32 एवं अनु० 226 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका (PIL) प्रस्तुत कर सकते है।

1- हुस्सैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार (1980) : बिहार जेलो में बंद विचाराधीन कैदियो की दयनीय दशा को इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित किया। जिसे अनु० 32 के तहत SC की वरिष्ठ वकील ~~कपिला~~ श्रीमति पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने PIL दाखिल किया। भागलपुर जेल में बंद कैदियो को मुक्त कराया। ऐसे मामलो में जल्द सुनवाई का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न एवं अनिवार्य अंग है।

(2) सुश्री शीला बरसे (1983) : मुम्बई पुलिस की जेलो में बंद महिला कैदियो का मामला न्यायालय ने आदेश दिया कि महिला कैदियो को अलग लॉक-अप में रखे जाये। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला पुलिस करें।

(3) बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारतीय संघ (1984) : एक स्वयं सेवी संस्था ने SC को सूचित किया कि फरीदकोट जिले में पत्थर की खानों में काफी संख्या में श्रमिक अमानवीय दशा में मजदूरी कर रहे है तथा उनमे से ज्यादातर बंधुआ मजदूर है। न्यायालय ने उनके पत्र को रिट मानकर एक आयोग नियुक्त किया जिसने न्यायालय को रिपोर्ट दिया कि संस्था का आरोप सत्य है। न्यायमूर्ति P.N. Bhagwati ने आदेश दिया कि समुचित कदम उठाकर सरकार बंधुआ मजदूरो को मुक्त कराये तथा मजदूरो की स्थिति को सुधारे।

(5) परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989) : दुर्घटना में घायलो को बिना कागजी कार्यवाही के तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करें।

(6) Envormental and consumure protection foundation द्वारा 2007 में PIL दाखिल किया गया कि मथुरा एवं वृन्दावन के आश्रम में विधवाओ की स्थिति पर सु ... से इंकार कर दिया जिसे CJI बालकृष्णन ने 13 Dec 2007 को तीन सदस्यी पीठ ने फैसला दिया कि PIL को सुनवाई से नही रोक सकते है। | 6 Dec 2007 को दो सदस्यी पीठ एके माथुर एवं काटजू ने PIL की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया

उ० प्र० लोकायुक्त

(2) जीने का अधिकार अनु० 21 - मेनका गांधी बनाम भारतसंघ (1978) के निर्णय के बाद न्यायालय ने जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ का विस्तार करते हुए कहा कि "गरिमामय जीवन" बताया। जिसके बाद से —

1 - मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) में निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक को 21 में शामिल किया गया।

2 - सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश (1986) निःशुल्क कानूनी शिक्षा को अनु 21 में

3 - परमानंद कटारा बनाम भारतसंघ में घायल व्यक्ति को तुरन्त चिकित्सा 21 में माना।

86वें संविधान संशोधन (2003) के माध्यम से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार 21-A में प्राप्त हुआ।

कार्यपालिका का स्वविवेक ~~विशेष~~ पर नियंत्रण,

1 - हवाला काण्ड में CBI को निर्देश दिया कि सीधे SC को रिपोर्ट करें

2. 2006 में पैम्प ऑफ गैस आवरण द्व.

3 - आवास आवंटन को भी न्यायालय ने नियंत्रित किया 2005 में
बूटासिंह राज्यपाल, हरिशरन सिंह स्वराजित

4 - वीरेन्द्र सिंह यादव लोकायुक्त.